रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3135] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939
No. 3135] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.आ. 3576 (अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुर जिले में स्थित है जो उत्तरी मुख्य सीमांत 77°08'49.02"-25°54'44.24",पूर्वी मुख्य सीमांत 77°19'33.63"-25°40'04.15" दक्षिणी मुख्य सीमांत 77°15'30.81" 25°38'30.48", पश्चिमी मुख्य सीमांत 77°06'16.77"-25°44'21.73" अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है। यह 344.686 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस अभयारण्य में शुष्क पर्णपाती वन हैं, जिनमें मुख्यतः एनोजियासिस पेंडुला, अकाकिया केचिचू और बोसविलिया सेराटे की प्रजातियां और उनसे संबंधित वनस्पतियां है। इसमें मानव आबादी नहीं है;

और, यह जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है। कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य में 120 वृक्ष प्रजातियां, 71 जड़ी बूटियों और झाड़ियों की प्रजातियां, 32 रोही और परजीवों की प्रजातियां, 34 घास और बांस प्रजातियां, 24 स्तनधारियों, 206 पक्षियों, 14 मछलियों, 33 सरीसृपों और 10 उभयचरों की प्रजातियां, 15 तितली की प्रजातियां अभिलिखित की गई है;

और, इस अभयारण्य में क्षेत्र के सभी सामान्य पशु रहते हैं जैसे कि मांसाहारी में तेंदुआ, सियार, जंगली कुत्ता, भालू, भारतीय लोमड़ी, और शाकाहारी में नीलगाय, चित्तीदार हिरण, सांभर, चौंसिगा मृग, चिकार, जंगली सुअर ;

और, कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योग या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1.पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.- (1)पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 207.451 वर्ग किलोमीटर कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर दो किलोमीटर तक विस्तृत है और कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक और मानचित्र **उपाबंध** I के रूप में उपाबद्ध हैं।

(2) कुनोपालपुर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की विधिक स्थिति और सीमा (आरक्षित वन और संरक्षित वन) का विवरण **उपाबंध** II के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध** III के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सरोकारों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी,:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पारि-पर्यटन सहित पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरीय और ग्रामीण विकास;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का, सहायक मानचित्रों के साथ, निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जायेगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जायेगा तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जायेगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी संबधी अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा,:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित स्थानीय सुविधाएं, जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा 4 में वर्णित क्रियाकलाप ;

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति

और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त और गैर-उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण और पर्यावास और जैव विविधता बहाली क्रियाकलाप करने के प्रयास किए जाएंगी।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत -** सभी प्राकृतिक जल स्रोतों/नदियों/जलमार्गो की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और पुनरूद्धार की योजनाएं शामिल की जाएंगी।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पारि-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी। उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएंगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन-प्रदूषण:-** वाहन-प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी,

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमे कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	उद्योगों की स्थापना जिसके अंतर्गत (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) प्रदुषण कारित करने वाले नए तेल और गैस खोज उद्योगो भी है।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
11.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप–पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाएं जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप। परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और

		सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
16.	विद्युत और संचार टॉवर लगाना और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों और नियमों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों और नियमों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन/ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(1) संभागीय आयुक्त, मुरैना, - अध्यक्ष;

(2) मुख्य वन संरक्षक, शेर परियोजना, ग्वालियर –सदस्य;

(3) जिला कलेक्टर, शिवपुर –सदस्य;

(4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका शिवपुर –सदस्य;

(5) अधीक्षण इंजीनियर, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ एमपीईबी, शिवपुर –सदस्य;

(6) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा –सदस्य;

(7) गैर-सरकारी संगठनों (विरासत संरक्षण सहित पर्यावरण के क्षेत्र में सक्रिय) का एक प्रतिनिधि, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्षो की अवधि के लिए नामित किया जायेगा –सदस्य;

(8) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुर –सदस्य;

(9) शहरी और ग्रामीण नियोजन बोर्ड का प्रतिनिधि –सदस्य;

(10) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि –सदस्य;

(11) राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता विशेषज्ञ –सदस्य;

(12) संभागीय वन अधिकारी, कुनोपालपुर वन्यजीव संभाग, शिवपुर –सदस्य सचिव;

6.विचारार्थ विषय:-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन (3) वर्ष या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का गठन किए जाने तक होगा।

(3) निगरानी समिति वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं है जो इस अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी के स्तभं (3) में यथा विनिर्दिष्ट हैं तथा जिन्हे केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(4) वे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और, वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत नहीं आतें हैं, परन्तु जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते है, उनकी, इस अधिसूचना के पैरा 4-में दी गई सारणी के स्तभं (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल विशिष्ट दशाओं के आधार पर, निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित कार्य प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध IV** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/81/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

अक्षांश और देशांतर तथा सीमा की भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के साथ कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

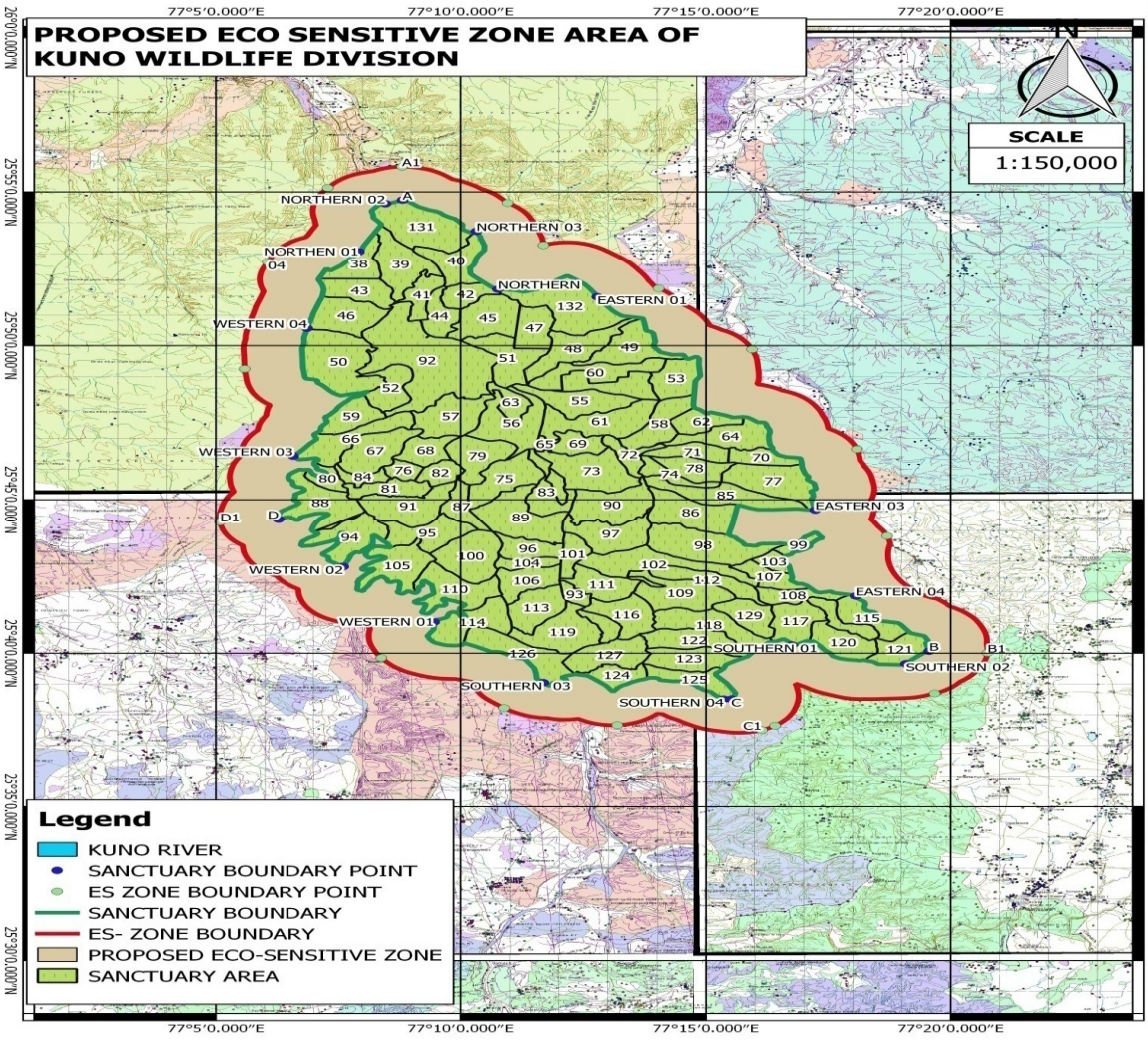

मानचित्र

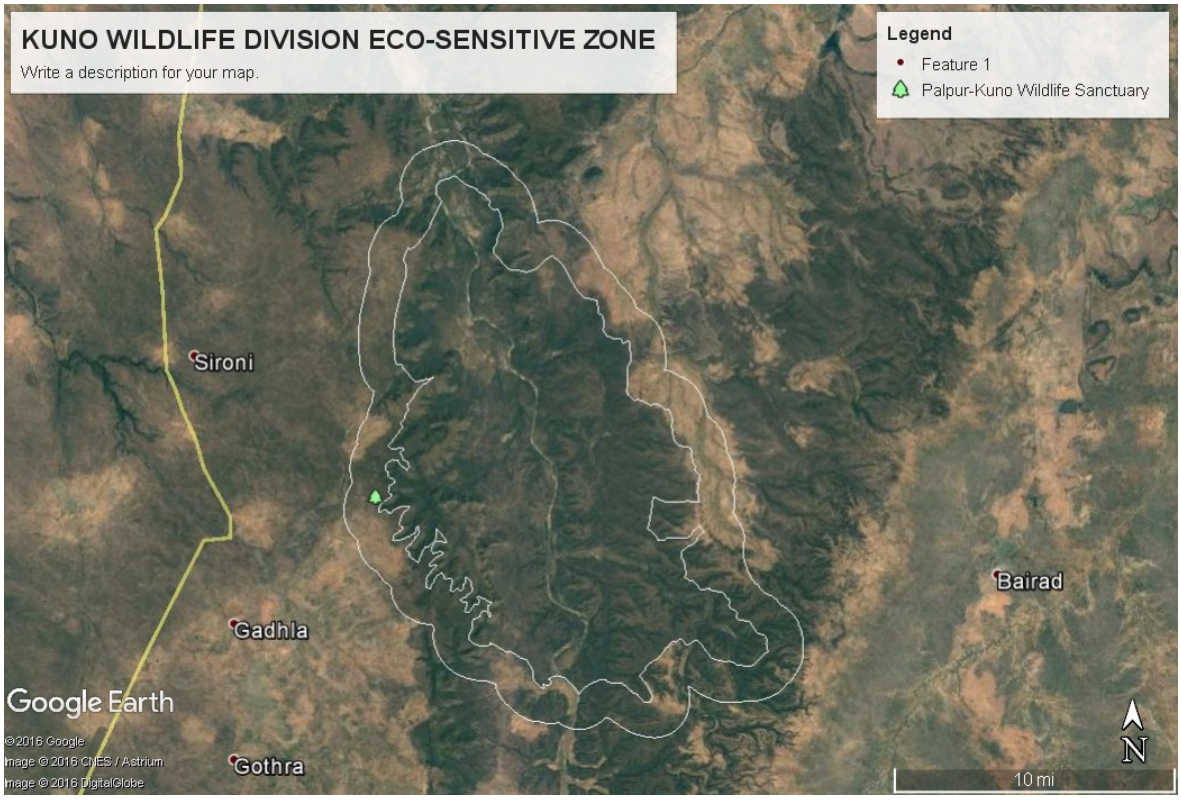

कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा की भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली और निर्देशांक

क्र.सं.	जी.पी.एस	देशांतर	अक्षांश
1.	ई01	77⁰ 12' 46.36" पू	25⁰ 51' 35.38" उ
2.	ई 02	77⁰ 17' 13.02" पू	25⁰ 44' 39.26" उ
3.	ई 03	77⁰ 18' 02.48" पू	25⁰ 41' 51.86" उ
4.	ई 04	77⁰ 16' 45.04" पू	25⁰ 40' 16.17" उ
5.	ई 05	77⁰ 19' 04.47" पू	25⁰ 39' 39.63" उ
6.	ई 06	77⁰ 15' 21.74" पू	25⁰ 38' 30.44" उ
7.	ई 07	77⁰ 11' 40.59" पू	25⁰ 39' 03.06" उ
8.	ई 08	77⁰ 09' 27.25" पू	25⁰ 41' 00.99" उ
9.	ई 09	77⁰ 07' 36.15" पू	25⁰ 42' 49.03" उ
10.	ई 10	77⁰ 06' 34.84" पू	25⁰ 46' 24.99" उ
11.	ई 11	77⁰ 06' 52.41" पू	25⁰ 50' 33.72" उ
12.	ई 12	77⁰ 07' 55.52" पू	25⁰ 53' 02.47" उ
13.	ई 13	77⁰ 08' 27.78" पू	25⁰ 54' 37.08" उ
14.	ई 14	77⁰ 10' 18.87" पू	25⁰ 53' 43.33" उ
15.	ई 15	77⁰ 10' 44.68" पू	25⁰ 51' 50.07" उ

कुनोपालपुर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा की भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली और निर्देशांक

क्र.सं.	जी.पी.एस	देशांतर	अक्षांश
1.	ई 01	77⁰ 14' 01.78" पू	25⁰ 51' 51.87" उ
2.	ई 02	77⁰ 15' 56.48" पू	25⁰ 49' 53.58" उ
3.	ई 03	77⁰ 18' 41.36" पू	25⁰ 43' 50.16" उ
4.	ई 04	77⁰ 18' 04.10" पू	25⁰ 46' 38.60" उ
5.	ई 05	77⁰ 19' 40.69" पू	25⁰ 38' 41.20" उ
6.	ई 06	77⁰ 16' 24.27" पू	25⁰ 37' 39.54" उ
7.	ई 07	77⁰ 10' 53.11" पू	25⁰ 38' 13.95" उ
8.	ई 08	77⁰ 13' 11.46" पू	25⁰ 37' 39.54" उ
9.	ई 09	77⁰ 08' 21.84" पू	25⁰ 39' 51.44" उ
10.	ई 10	77⁰ 05' 04.74" पू	25⁰ 44' 13.81" उ
11.	ई 11	77⁰ 05' 33.61" पू	25⁰ 49' 14.16" उ
12.	ई 12	77⁰ 07' 16.78" पू	25⁰ 55' 08.29" उ
13.	ई 13	77⁰ 10' 57.57" पू	25⁰ 54' 39.60" उ
14.	ई 14	77⁰ 11' 41.31" पू	25⁰ 53' 16.44" उ
15.	ई 15	77⁰ 06' 03.31" पू	25⁰ 52' 43.10" उ

उपाबंध-II

कुनोपालपुर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (आरक्षित वन और संरक्षित वन) की विधिक स्थिति और विस्तार

क्र.सं.	संभाग	रेंज	बीट	कम्पार्टमेंट	विधिक स्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर.)
1	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	धोरेरा	पी एफ	1064	226.244
2	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	धोरेरा	पी एफ	1065	189.484
3	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	धोरेरा	पी एफ	1066	206.707
4	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	धोरेरा	पी एफ	1067	215.295
5	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	झयहांकीयापुर	आर एफ	1055	428.181
6	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	झयहांकीयापुर	आर एफ	1056	439.943
7	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	झयहांकीयापुर	आर एफ	1267	64.714
8	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	कदवाल	पी एफ	597	555.420
9	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	सहुकरवारा	पी एफ	599	11.258
10	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	सहुकरवारा	पी एफ	600	94.492
11	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	सहुकरवारा	पी एफ	602	61.680
12	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	उमरी पश्चिम	आर एफ	1048	488.442
13	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	उमरी पश्चिम	आर एफ	1049	45.046
14	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	उमरी दक्षिण	पी एफ	1063	102.081
15	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	उमरी दक्षिण	आर एफ	1053	129.031
16	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	उमरी दक्षिण	आर एफ	1054	127.128
17	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	उमरी दक्षिण	आर एफ	1057	219.338
18	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	दुबइरा	पी एफ	603	68.080

19	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	दुबइरा	पी एफ	604	28.127
20	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	दुबइरा	पी एफ	605	143.666
21	कुनो-पालपुर वन्यजीव	अगरा पूर्व	बसेरा दक्षिण	आर एफ	1047	219.778
					अगरा पूर्व कुल रेंज	**4064.135**
22	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पश्चिम	आर एफ	591	102.016
23	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पश्चिम	आर एफ	592	288.568
24	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पश्चिम	आर एफ	593	239.766
25	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पश्चिम	आर एफ	594	160.254
26	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पूर्व	आर एफ	589	14.626
27	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पूर्व	आर एफ	590	158.862
28	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	सिलोरी पूर्व	आर एफ	595	267.385
29	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	हथदी	आर एफ	606	310.444
30	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	हथदी	आर एफ	607	31.301
31	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	हथदी	आर एफ	626	137.957
32	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पूर्व	नबलपुरा पश्चिम	आर एफ	587	1.681
					कुल रेंज मोरवन पूर्व	**1712.860**
33	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	बेलिया	आर एफ	643	340.537
34	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	बेलिया	आर एफ	658	3.716
35	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	बेलिया	आर एफ	663	129.475
36	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	बेलिया	आर एफ	664	178.975
37	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पश्चिम	आर एफ	639	237.409
38	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पश्चिम	आर एफ	640	45.537
39	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पश्चिम	आर एफ	641	185.491
40	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पश्चिम	आर एफ	642	128.719
41	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पूर्व	आर एफ	635	209.065
42	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पूर्व	आर एफ	636	208.306
43	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पूर्व	आर एफ	637	309.937
44	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	कंकरा पूर्व	आर एफ	638	234.334
45	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	टीकटोली पश्चिम	आर एफ	633	233.238
46	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	टीकटोली पश्चिम	आर एफ	634	13.504
47	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	टीकटोली पूर्व	आर एफ	627	78.190
48	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	टीकटोली पूर्व	आर एफ	631	52.355
49	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	टीकटोली पूर्व	आर एफ	632	295.871
50	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	टीकटोली दक्षिण	आर एफ	625	74.069
51	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	अहीरवानी	आर एफ	644	496.117
52	कुनो-पालपुर वन्यजीव	मोरवन पश्चिम	अहीरवानी	आर एफ	645	52.799
					कुल रेंज मोरवन पश्चिम	**3507.644**

क्र.सं.	संभाग	रेंज	बीट	कम्पार्टमेंट	विधिक स्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर.)
53	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	खेमचा उत्तर	आर एफ	714	199.840
54	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	खेमचा दक्षिण	आर एफ	712	269.649
55	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	खेमचा दक्षिण	आर एफ	713	258.385
56	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	दगरी उत्तर	आर एफ	727	293.916
57	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	दगरी उत्तर	आर एफ	728	273.922
58	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	दगरी उत्तर	आर एफ	729	11.712
59	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	दगरी उत्तर दक्षिण	आर एफ	726	410.899
60	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	अकोदा	पी एफ	740	123.947
61	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	अकोदा	आर एफ	738	43.934
62	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	अकोदा	आर एफ	739	316.060
					कुल रेंज सिरोनी उत्तर	**2202.264**
63	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा सेंटर	आर एफ	669	342.467
64	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा सेंटर	आर एफ	670	166.115
65	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा उत्तर	आर एफ	671	244.058
66	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा उत्तर	आर एफ	672	86.730
67	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा उत्तर	आर एफ	700	244.229
68	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा दक्षिण	आर एफ	665	296.094
69	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	बेगाचा उत्तर	आर एफ	667	273.009
70	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	कंकरा पश्चिम	आर एफ	668	339.175
71	कुनो-पालपुर वन्यजीव	सीरोनी उत्तर	कुंदा	आर एफ	666	86.615
					कुल रेंज सिरोनी उत्तर	**2078.492**
72	शिवपुरी	पोहारी	बरदा	पी एफ	728	310.680
73	शिवपुरी	पोहारी	गोदारी	पी एफ	729	322.441
74	शिवपुरी	पोहारी	गोदारी	पी एफ	730	264.221
75	शिवपुरी	पोहारी	गोदारी	पी एफ	731	273.922
76	शिवपुरी	पोहारी	गोदारी	पी एफ	741	344.410
77	शिवपुरी	पोहारी	रामपुर	पी एफ	742	219.442
78	शिवपुरी	पोहारी	रामपुर	पी एफ	743	94.4921
79	शिवपुरी	पोहारी	रामपुर	पी एफ	744	168.210
					कुल:शिवपुरी संभाग	**1997.818**
					कुल योग	**15563.213**

कुनोपालपुर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत क्षेत्र (राजस्व क्षेत्र) की विधि स्थिति और विस्तार

क्र.सं.	संभाग	रेंज	बीट	विधिक स्थिति	क्षेत्र (हेक्टेयर.)
1	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	अगरा पूर्व	धओरेरा	राजस्व	906.605
2	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	अगरा पूर्व	कदवाइ	राजस्व	253.768

3	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	अगरा पूर्व	कदवाइ उत्तर	राजस्व	549.324
4	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	अगरा पूर्व	उमेरी दक्षिण	राजस्व	122.312
5	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	अगरा पूर्व	दुबेरा	राजस्व	244.530
6	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	मोरावान पूर्व	हथदी	राजस्व	288.380
7	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	मोरावान पूर्व	चापरेट	राजस्व	153.690
8	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	मोरावान पूर्व	टीकटोली पूर्व	राजस्व	267.630
9	कुनो-वन्यजीव प्रभाग	सिरोनी उत्तर	अकोदा	राजस्व	284.649
				कुल कुनो संभाग	**3070.888**
10	शिवपुरी प्रभाग	पोहरी	अहेरा	राजस्व	1260.050
11	शिवपुरी प्रभाग	पोहरी	ओखाइपाता	राजस्व	531.015
12	शिवपुरी प्रभाग	पोहरी	अमारकुली	राजस्व	320.015
				कुल शिवपुरी संभाग	**2111.080**
				कुल योग	**5181.968**

उपाबंध-III

कुनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य, शिवपुर (मध्य प्रदेश) के पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	प्रभाग का नाम	ग्राम का नाम	जिला	देशांतर	अक्षांश
1	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	सारन अहीरवानी	शिवपुर	25° 43' 5.20"	77° 05' 48.14"
2	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	दोमारी	शिवपुर	25° 38' 14.17"	77° 14' 05.63"
3	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	करखो	शिवपुर	25° 39' 15.91"	77° 09' 56.80"
4	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	उमरी खुर्द	शिवपुर	25° 53' 04.78"	77° 12' 21.70"
5	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	अकोदा	शिवपुर	25° 55' 57.20"	77° 07' 52.63"
6	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	बारोनीया	शिवपुर	25° 52' 35.23"	77° 06' 50.54"
7	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	हथेदी	शिवपुर	25° 38' 45.50"	77° 12' 0.87"
8	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	धोरेरा	शिवपुर	25° 48' 49.77"	77° 15' 28.71"
9	कुनो-वन्यजीव शिवपुर	कादवाइ	शिवपुर	25° 44' 04.75"	77° 16' 50.26"
10	शिवपुरी	अहेरा	शिवपुरी	25° 39' 11.22"	77° 16' 50.59"
11	शिवपुरी	सामरा	शिवपुरी	25° 39' 28.94"	77° 20' 17.52"

उपाबंध IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2017

S.O.3576(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Kunopalpur Wildlife Sanctuary located in Sheopur District of Madhya Pradesh and lying between latitudes and longitudes of Northern most limit 77°08'49.02"-25°54'44.24" Eastern most limit 77°19'33.63"-25°40'04.15" Southern most limit 77°15'30.81" 25°38'30.48" western most limit 77°06'16.77"-25°44'21.73" spread over an area of 344.686 sq. kms. is a Dry deciduous forest, consisting mainly of Anogeissus Pendula, Acacia catechu and Boswellia serrate communities and their associated flora and is free from human habitation;

AND WHEREAS, the area is rich in biodiversity, 120 tree species, 71 herbs and shrubs species, 32 climbers and parasites, 34 grasses and bamboo species, 24 mammals, 206 birds, 14 fish, 33 reptiles and 10 species of amphibians, 15 species of butterfly have been recorded in Kunopalpur Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the sanctuary is inhabited by all usual animals of the region, such as leopard, jackal, Wild Dog, Bear, Indian fox, among carnivorous and Nilgai, Spotted Deer, Sambar, four horn antelope, Chinkara, Wild pig amongst herbivores;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph i of this notification around the Kunopalpur Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent up to 2 kms around the boundary of Kunopalpur Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as the Kunopalpur Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The Eco-Sensitive Zone shall be of 207.451 square kilo meters with an extent up to two kilometers around the boundary of Kunopalpur Wildlife Sanctuary and the boundary details of Kunopalpur Wildlife Sanctuary and its eco-sensitive zone in terms of Global Positioning System coordinates and maps are appended as Annexure-I.

(2)The legal Status and Extent of Area (Reserved Forest and Protected Forest) within the Kunopalpur Eco-sensitive Zone are appended as Annexure-II.

(3)The list of villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as Annexure-III;

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture & Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and urban development;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Landuse: (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of

Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) Small scale industries not causing pollution;
(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) Promoted activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number G.S.R.343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.- Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16). Industrial Units.- (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries including new oil and gas exploration causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
8.	Commercial use of fire wood	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
9.	Use of plastic bags	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities.

		Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated under applicable laws.
12.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
14.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
20.	Protection of Hill Slopes and river	Regulated under applicable laws

	banks	
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management/Bio-medical Waste Management	Regulated under applicable laws
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
29.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
35.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(1) Divisional Commissioner, Morena, Chairman -Chairman

(2) Chief Conservator of Forest, Lion Project Gwalior -Member

(3) District Collector, Sheopur -Member

(4) Chief Municipal Officer Nagar palika Sheopur -Member

(5) Superintendent Engineer, Public Health Department

/Public Works Department/MPEB Sheopur -Member

(6) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years -Member

(7) One representatives of Non-governmental Organization (working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years -Member

(8) CEO of Jila Panchayat, Sheopur -Member

(9) Representative of the Town and Country Planning Board -Member

(10) Representative of MP Pollution Control Board -Member

(11) Expert in Biodiversity nominated by State Govt. -Member

(12) Divisional Forest Officer, Kunopalpur Wildlife Division Sheopur-Member Secretary

6. Terms of Reference.-(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(1) The tenure of the Committee shall be three years or till the constitution of the new committee by the state Govt.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned work in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per performa appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/81/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Map of Eco-Sensitive Zone of Kunopalpur Wildlife Sanctuary with lattitudes and longitudes and Global Positioning System coordinates along the boundary

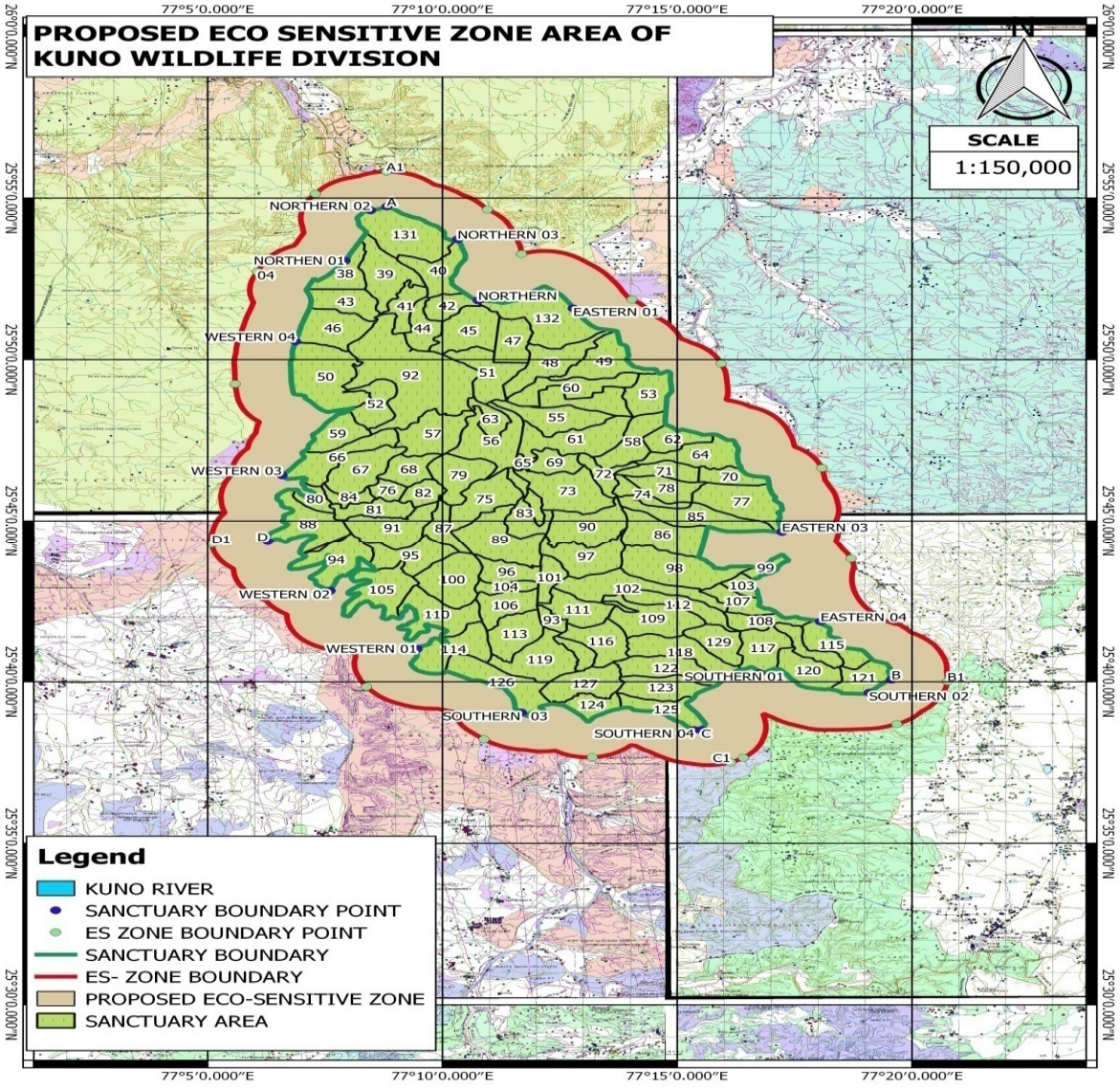

GOOGLE MAP

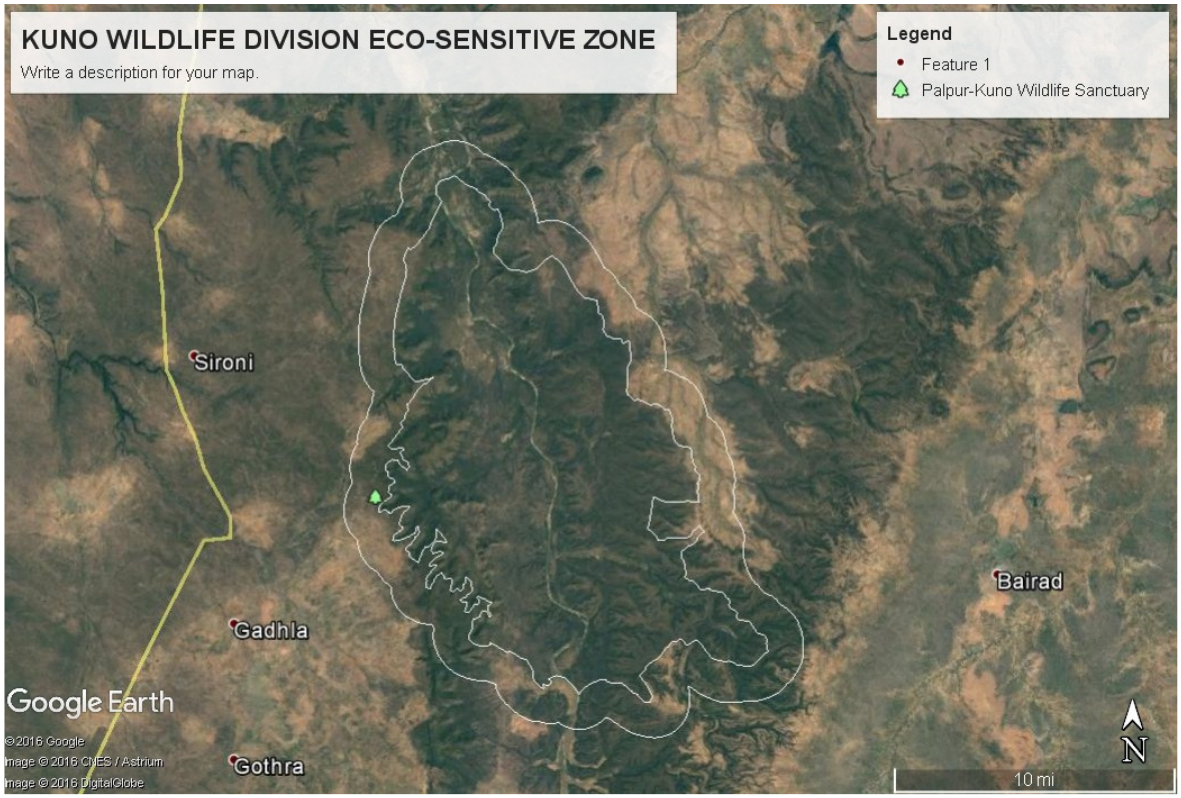

Global Positioning System COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF KUNO WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

GPS co-ordinates of points along the boundary of Kuno Wildlife Sanctuary

SI. No.	GPS	Longitude	Latitude
1.	E01	77^0 12' 46.36" E	25^0 51' 35.38" N
2.	E 02	77^0 17' 13.02" E	25^0 44' 39.26" N
3.	E 03	77^0 18' 02.48" E	25^0 41' 51.86" N
4.	E 04	77^0 16' 45.04" E	25^0 40' 16.17" N
5.	E 05	77^0 19' 04.47" E	25^0 39' 39.63" N
6.	E 06	77^0 15' 21.74" E	25^0 38' 30.44" N
7.	E 07	77^0 11' 40.59" E	25^0 39' 03.06" N
8.	E 08	77^0 09' 27.25" E	25^0 41' 00.99" N
9.	E 09	77^0 07' 36.15" E	25^0 42' 49.03" N
10.	E 10	77^0 06' 34.84" E	25^0 46' 24.99" N
11.	E 11	77^0 06' 52.41" E	25^0 50' 33.72" N
12.	E 12	77^0 07' 55.52" E	25^0 53' 02.47" N
13.	E 13	77^0 08' 27.78" E	25^0 54' 37.08" N
14.	E 14	77^0 10' 18.87" E	25^0 53' 43.33" N
15.	E 15	77^0 10' 44.68" E	25^0 51' 50.07" N

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone Kuno Wildlife Sanctuary

SI. No.	GPS	Longitude	Latitude
1.	E01	77^0 14' 01.78" E	25^0 51' 51.87" N
2.	E 02	77^0 15' 56.48" E	25^0 49' 53.58" N
3.	E 03	77^0 18' 41.36" E	25^0 43' 50.16" N
4.	E 04	77^0 18' 04.10" E	25^0 46' 38.60" N
5.	E 05	77^0 19' 40.69" E	25^0 38' 41.20" N
6.	E 06	77^0 16' 24.27" E	25^0 37' 39.54" N
7.	E 07	77^0 10' 53.11" E	25^0 38' 13.95" N
8.	E 08	77^0 13' 11.46" E	25^0 37' 39.54" N
9.	E 09	77^0 08' 21.84" E	25^0 39' 51.44" N
10.	E 10	77^0 05' 04.74" E	25^0 44' 13.81" N
11.	E 11	77^0 05' 33.61" E	25^0 49' 14.16" N
12.	E 12	77^0 07' 16.78" E	25^0 55' 08.29" N
13.	E 13	77^0 10' 57.57" E	25^0 54' 39.60" N
14.	E 14	77^0 11' 41.31" E	25^0 53' 16.44" N
15.	E 15	77^0 06' 03.31" E	25^0 52' 43.10" N

ANNEXURE-II

Legal Status & Extent of Area (Reserved Forest & Protected Forest) within the Kunopalpur Eco-sensitive Zone

S.N	DIVISION	RANGE	BEAT	COMPARTMENT	LEGAL STATUS	Area (Ha.)
1	Kuno WL	AGRA EAST	DHORERA	PF	1064	226.244
2	Kuno WL	AGRA EAST	DHORERA	PF	1065	189.484
3	Kuno WL	AGRA EAST	DHORERA	PF	1066	206.707
4	Kuno WL	AGRA EAST	DHORERA	PF	1067	215.295
5	Kuno WL	AGRA EAST	JYHANKIYAPUR	RF	1055	428.181
6	Kuno WL	AGRA EAST	JYHANKIYAPUR	RF	1056	439.943
7	Kuno WL	AGRA EAST	JYHANKIYAPUR	RF	1267	64.714
8	Kuno WL	AGRA EAST	KADWAI	PF	597	555.420
9	Kuno WL	AGRA EAST	SHUKRWARA	PF	599	11.258
10	Kuno WL	AGRA EAST	SHUKRWARA	PF	600	94.492
11	Kuno WL	AGRA EAST	SHUKRWARA	PF	602	61.680
12	Kuno WL	AGRA EAST	UMRI WEST	RF	1048	488.442
13	Kuno WL	AGRA EAST	UMRI WEST	RF	1049	45.046
14	Kuno WL	AGRA EAST	UMARI SOUTH	PF	1063	102.081
15	Kuno WL	AGRA EAST	UMARI SOUTH	RF	1053	129.031
16	Kuno WL	AGRA EAST	UMARI SOUTH	RF	1054	127.128
17	Kuno WL	AGRA EAST	UMARI SOUTH	RF	1057	219.338
18	Kuno WL	AGRA EAST	DUBERA	PF	603	68.080
19	Kuno WL	AGRA EAST	DUBERA	PF	604	28.127
20	Kuno WL	AGRA EAST	DUBERA	PF	605	143.666
21	Kuno WL	AGRA EAST	BASERA SOUTH	RF	1047	219.778
					TOTAL OF RANGE AGRA EAST	**4064.135**
22	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI WEST	RF	591	102.016
23	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI WEST	RF	592	288.568

24	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI WEST	RF	593	239.766
25	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI WEST	RF	594	160.254
26	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI EAST	RF	589	14.626
27	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI EAST	RF	590	158.862
28	Kuno WL	MORAVAN EAST	SILORI EAST	RF	595	267.385
29	Kuno WL	MORAVAN EAST	HATHDI	RF	606	310.444
30	Kuno WL	MORAVAN EAST	HATHDI	RF	607	31.301
31	Kuno WL	MORAVAN EAST	HATHDI	RF	626	137.957
32	Kuno WL	MORAVAN EAST	NABALPURA WEST	RF	587	1.681
TOTAL OF RANGE MORAVAN EAST						**1712.860**
33	Kuno WL	MORAVAN WEST	BELIYA	RF	643	340.537
34	Kuno WL	MORAVAN WEST	BELIYA	RF	658	3.716
35	Kuno WL	MORAVAN WEST	BELIYA	RF	663	129.475
36	Kuno WL	MORAVAN WEST	BELIYA	RF	664	178.975
37	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA WEST	RF	639	237.409
38	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA WEST	RF	640	45.537
39	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA WEST	RF	641	185.491
40	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA WEST	RF	642	128.719
41	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA EAST	RF	635	209.065
42	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA EAST	RF	636	208.306
43	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA EAST	RF	637	309.937
44	Kuno WL	MORAVAN WEST	KANKRA EAST	RF	638	234.334
45	Kuno WL	MORAVAN WEST	TIKTOLI WEST	RF	633	233.238
46	Kuno WL	MORAVAN WEST	TIKTOLI WEST	RF	634	13.504
47	Kuno WL	MORAVAN WEST	TIKTOLI EAST	RF	627	78.190
48	Kuno WL	MORAVAN WEST	TIKTOLI EAST	RF	631	52.355
49	Kuno WL	MORAVAN WEST	TIKTOLI EAST	RF	632	295.871
50	Kuno WL	MORAVAN WEST	TIKTOLI SOUTH	RF	625	74.069
51	Kuno WL	MORAVAN WEST	AHIRWANI	RF	644	496.117
52	Kuno WL	MORAVAN WEST	AHIRWANI	RF	645	52.799
TOTAL OF RANGE MORAVAN WEST						**3507.644**

S.No.	DIVISION	RANGE	BEAT	COMPARTMENT	LEGAL STATUS	Area (Ha.)
53	Kuno WL	SIRONI NORTH	KHEMCHA NORTH	RF	714	199.840
54	Kuno WL	SIRONI NORTH	KHEMCHA SOUTH	RF	712	269.649
55	Kuno WL	SIRONI NORTH	KHEMCHA SOUTH	RF	713	258.385
56	Kuno WL	SIRONI NORTH	DAGRI NORTH	RF	727	293.916
57	Kuno WL	SIRONI NORTH	DAGRI NORTH	RF	728	273.922
58	Kuno WL	SIRONI NORTH	DAGRI NORTH	RF	729	11.712
59	Kuno WL	SIRONI NORTH	DAGRI SOUTH	RF	726	410.899
60	Kuno WL	SIRONI NORTH	AKODA	PF	740	123.947
61	Kuno WL	SIRONI NORTH	AKODA	RF	738	43.934
62	Kuno WL	SIRONI NORTH	AKODA	RF	739	316.060
TOTAL OF RANGE SIRONI NORTH						**2202.264**
63	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGACHA CENTER	RF	669	342.467
64	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGACHA CENTER	RF	670	166.115
65	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGCHA NORTH	RF	671	244.058
66	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGCHA NORTH	RF	672	86.730
67	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGCHA NORTH	RF	700	244.229
68	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGCHA SOUTH	RF	665	296.094
69	Kuno WL	SIRONI SOUTH	BAGCHA NORTH	RF	667	273.009
70	Kuno WL	SIRONI SOUTH	KANKRA WEST	RF	668	339.175
71	Kuno WL	SIRONI SOUTH	KUNDA	RF	666	86.615
TOTAL OF RANGE SIRONI SOUTH						**2078.42**
72	Shivpuri	Pohari	Berada	PF	728	310.680
73	Shivpuri	Pohari	Godari	PF	729	322.441
74	Shivpuri	Pohari	Godari	PF	730	264.221
75	Shivpuri	Pohari	Godari	PF	731	273.922
76	Shivpuri	Pohari	Godari	PF	741	344.410
77	Shivpuri	Pohari	Rampura	PF	742	219.442
78	Shivpuri	Pohari	Rampura	PF	743	94.4921
79	Shivpuri	Pohari	Rampura	PF	744	168.210
TOTAL OF SHIVPURI DIVISION						**1997.818**
GRAND TOTAL						**15563.213**

Legal Status & Extent of Area(Revenue Area) within the Kunopalpur Eco-sensitive Zone

S.No.	DIVISION	RANGE	BEAT	LEGAL STATUS	Area (Ha.)
1	Kuno WL Div.	AGRA EAST	DHORERA	Revenue	906.605
2	Kuno WL Div.	AGRA EAST	KADWAI	Revenue	253.768
3	Kuno WL Div.	AGRA EAST	KADWAI NORTH	Revenue	549.324
4	Kuno WL Div.	AGRA EAST	UMARI SOUTH	Revenue	122.312

5	Kuno WL Div.	AGRA EAST	DUBERA	Revenue	244.530
6	Kuno WL Div.	MORAVAN EAST	HATHDI	Revenue	288.380
7	Kuno WL Div.	MORAVAN EAST	CHAPRET	Revenue	153.690
8	Kuno WL Div.	MORAVAN EAST	TIKTOLI EAST	Revenue	267.630
9	Kuno WL Div.	SIRONI NORTH	AKODA	Revenue	284.649
				TOTAL OF KUNO DIVISION	**3070.888**
10	Shivpuri Div.	Pohri	Ahera	Revenue	1260.050
11	Shivpuri Div.	Pohri	Okhaipata	Revenue	531.015
12	Shivpuri Div.	Pohri	Amarkui	Revenue	320.015
				TOTAL OF SHIPURI DIVISION	**2111.080**
				GRAND TOTAL	**5181.968**

ANNEXURE-III

List of villages proposed to be included (within two kilometer) in the Eco-sensitive area of Kuno Wildlife Sanctuary, Sheopur (Madhya Pradesh)

Sl.No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Kuno WL Sheopur	Saran Ahirwani	Sheopur	25^0 43' 5.20"	77^0 05' 48.14"
2	Kuno WL Sheopur	Domari	Sheopur	25^0 38' 14.17"	77^0 14' 05.63"
3	Kuno WL Sheopur	Karkho	Sheopur	25^0 39' 15.91"	77^0 09' 56.80"
4	Kuno WL Sheopur	Umri Khurd	Sheopur	25^0 53' 04.78"	77^0 12' 21.70"
5	Kuno WL Sheopur	Akoda	Sheopur	25^0 55' 57.20"	77^0 07' 52.63"
6	Kuno WL Sheopur	Baroniya	Sheopur	25^0 52' 35.23"	77^0 06' 50.54"
7	Kuno WL Sheopur	Hathedi	Sheopur	25^0 38' 45.50"	77^0 12' 0.87"
8	Kuno WL Sheopur	Dhorera	Sheopur	25^0 48' 49.77"	77^0 15' 28.71"
9	Kuno WL Sheopur	Kadwai	Sheopur	25^0 44' 04.75"	77^0 16' 50.26"
10	Shivpuri	Ahera	Shivpuri	25^0 39' 11.22"	77^0 16' 50.59"
11	Shivpuri	Samara	Shivpuri	25^0 39' 28.94"	77^0 20' 17.52"

ANNEXURE-IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan :
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record : Details may be attached as Annexure:
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure:
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure:
7. Summary of complaints edged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.14 19:52:39 +05'30'